



# Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

---

CHANDIGARH, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2013  
(BHADRA 15, 1935 SAKA)

---

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

## Notification

The 6th September, 2013

**No. 14—HLA of 2013/59.**—The Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Bill, 2013, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :

**Bill No. 14—HLA of 2013**

## THE HARYANA GOOD CONDUCT PRISONERS (TEMPORARY RELEASE) AMENDMENT BILL, 2013

A

BILL

*further to amend the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Act, 1988.*

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Act, 2013. Short title

Amendment of  
section 2 of  
Haryana Act 28  
of 1988

2. For clause (aa) of section 2 of the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Act, 1988, the following clause shall be substituted, namely:—

(aa) "hardcore prisoner" means a person:—

(i) who has been convicted of—

- (1) robbery under section 392 or 394 IPC;
- (2) dacoity under section 395, 396 or 397 IPC;
- (3) kidnapping for ransom under section 364-A IPC;
- (4) murder or attempt to murder for ransom or extortion under section 387 read with 302 or section 387 read with 307 IPC;
- (5) rape with murder under section 376 read with 302 IPC;
- (6) rape with a woman below sixteen years of age;
- (7) rape as covered under section 376-A, 376-D or 376-E IPC;
- (8) serial killing *i.e.* murder under section 302 IPC in two or more cases in different First Information Reports;
- (9) murder under section 302 IPC, if the offender is a contract killer as apparent from the facts mentioned in the judgment of the case;
- (10) lurking house trespass or house breaking where death or grievous hurt is caused under section 459 or 460 IPC;
- (11) either of offence under sections 121 to 124-A IPC;
- (12) immoral trafficking under sections 3, 4 or 5 of the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (104 of 1956) involving minors or under sections 366-A, 366-B, 372 or 373 IPC;
- (13) offence under section 17(c) or 18(b) of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (Central Act 61 of 1985); or
- (14) offence under section 14 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (Central Act 32 of 2012);  
or

- (ii) who during a period of five years immediately before his conviction has earlier been convicted and sentenced for commission of one or more offences mentioned in Chapter XII or XVII of IPC, except the offences covered under clause (i) above, committed on different occasions not constituting part of the same transaction and as a result of such conviction has undergone imprisonment at least for a period of twelve months :

Provided that while counting the period of five years, the period of actual imprisonment or detention shall be excluded :

Provided further that if a conviction has been set-aside in appeal or revision, then any imprisonment undergone in connection therewith shall not be taken into account for the above purpose; or

- (iii) who has been sentenced to death penalty; or
- (iv) who has been detected of using cell phone or in possession of cell phone/SIM card inside the jail premises; or
- (v) who failed to surrender himself within a period of ten days from the date on which he should have so surrendered on the expiry of the period for which he was released earlier under this Act :

Provided that the State Government may, by notification include any offence in the list of offences mentioned above.

**Explanation.**— For the purposes of this section, “IPC” means the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860).’.

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

The Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Act, 2012 was notified on 01.10.2012 in order to prevent commission of crimes during the period of parole/furlough and to reduce/eliminate the possibility of absconding during parole/furlough. Some clerical mistake have been noticed in the said Act. Beside, Criminal Law Amendment Act, 2013 has been enforced providing various provisions of punishment in respect of rape cases which need to be included in the definition of "Hardcore Prisoners" To give legal meaning to certain undefined terms in the Act and to clarify/qualify some of the offences listed under section 2 (aa) in the definition of "hardcore prisoner" there is need to further amend the Act. Hence the bill.

PT. SHIV CHARAN LAL SHARMA,  
Minister of State for Labour and  
Employment, Haryana.

Chandigarh :  
The 6th September, 2013.

SUMIT KUMAR,  
Secretary.

[ प्राधिकृत अनुवाद ]

2013 का विधेयक संख्या 14 – एच० एल० ए०

हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) संशोधन विधेयक, 2013

हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई)  
अधिनियम, 1988, को आगे संशोधित  
करने के लिए  
विधेयक

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) संशोधन अधिनियम, संक्षिप्त नाम । 2013, कहा जा सकता है।

2. हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) अधिनियम, 1988, की धारा 2 के खण्ड (कक) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- 1988 के हरियाणा अधिनियम 28 की धारा 2 का संशोधन।

“(कक) “कट्टर बंदी” से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति,—

(i) जो निम्नलिखित का सिद्धदोषी हो गया है—

- (1) भा०द०सं० की धारा 392 या 394 के अधीन लूट;
- (2) भा०द०सं० की धारा 395, 396 या 397 के अधीन डकैती;
- (3) भा०द०सं० की धारा 364क के अधीन फिरौती के लिए अपहरण;
- (4) भा०द०सं० की धारा 302 के साथ पठित धारा 387 या धारा 307 के साथ पठित धारा 387 के अधीन फिरौती या उद्दापन के लिए हत्या या हत्या का प्रयत्न;
- (5) भा०द०सं० की धारा 302 के साथ पठित धारा 376 के अधीन हत्या सहित बलात्कार;
- (6) सोलह वर्ष से नीचे की आयु की महिला के साथ बलात्कार;
- (7) भा०द०सं० की धारा 376क, 376घ या 376ड के अधीन आने वाले बलात्कार;
- (8) आनुक्रमिक हत्या अर्थात् विभिन्न प्रथम सूचना रिपोर्टों में दो या अधिक मामलों में भा०द०सं० की धारा 302 के अधीन हत्या .

- (9) भा०द०सं० की धारा 302 के अधीन हत्या, यदि अपराधी मामले के न्यायनिर्णय में वर्णित तथ्यों से प्रकट रूप में संविदा हत्याकाण्ड है,
- (10) छिपकर अनधिकार गृह प्रवेश करना या गृह भेदन करना जहां भा०द०सं० की धारा 459 या 460 के अधीन मृत्यु या घोर उपहति हुई है,
- (11) भा०द०सं० की धाराओं 121 से 124क के अधीन कोई भी अपराध;
- (12) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का 104) की धारा 3, 4 तथा 5 के अधीन या भा०द०सं० की धारा 366क, 366ख, 372 या 373 के अधीन अनैतिक व्यापार में अव्यस्क को शामिल करने ,
- (13) स्थापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का केन्द्रीय अधिनियम 61) की धारा 17(ग) या 18(ख) के अधीन अपराध ; या
- (14) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का केन्द्रीय अधिनियम 32) की धारा 14 के अधीन अपराध ; या
- (ii) जो उसकी दोषसिद्धि के तुरन्त पूर्व पांच वर्ष की अवधि के दौरान पूर्व में सिद्धदोष हो गया है तथा उपरोक्त खण्ड (i) के अधीन आने वाले अपराध जो उरी संव्यवहार का भाग रूप न होते हुए विभिन्न अवसरों पर किए गए तथा ऐसी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप कम से कम बारह मास की अवधि के लिए कारावास भोगा है, को छोड़कर भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय XII या XVII में वर्णित एक या अधिक अपराधों के लिए दण्डादिष्ट हो गया है :
- परन्तु पांच वर्ष की अवधि की गणना करते समय, वास्तविक कारावास या निरोध की अवधि निकाल दी जाएगी :
- परन्तु यह और कि यदि दोषसिद्धि अपील या पुनरीक्षण में अपास्त की गई है तब उसके संबन्ध में भोगा गया कोई कारावास उपरोक्त प्रयोजन के लिए गिनती में नहीं लिया जाएगा , या
- (iii) जो मृत्यु दण्ड से दण्डादिष्ट किया गया है; या
- (iv) जो जेल परिसरों में सेलफोन का प्रयोग करते हुए या सेलफोन/सिमकार्ड उसके कब्जे में पाया गया है ; या
- (v) जो अवधि जिसके लिए वह इस अधिनियम के अधीन पहले रिहा किया गया था, की समाप्ति पर, तिथि जिसको उसे इस

प्रकार आत्म-समर्पण करना चाहिए था, से दस दिन की अवधि के भीतर स्वयं का आत्म-समर्पण करने में असफल हो गया है :

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उपरोक्त वर्णित अपराधों की सूची में किसी अपराध को शामिल कर सकती है।

**व्याख्या.**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "भा०द०सं०" से अभिप्राय है, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45)।।

---

**उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण**

पैरोल/फरलो की अवधि के दौरान अपराधों पर अंकुश लगाने तथा बन्दियों के फरार होने की सम्भावनाएं कम या दूर करने के लिए हरियाणा सदाचारी बन्दी (अस्थायी रिहाई) संशोधन नियम, 2012 दिनांक 01-10-2012 को अधिसूचित किये गये उक्त नियमों में कुछ लिपिकीय त्रुटियां रह गईं। इसके अतिरिक्त बलात्कार मामलों के सम्बन्ध में सजा के विभिन्न प्रावधानों को "कठोर कैदी" में परिभाषित करने की आवश्यकता है तथा इसके लिए अपराध कानून संशोधन अधिनियम, 2013 लागू करना आवश्यक है। अधिनियम में अपरिभाषित तथ्यों को कानूनी मान्यता देने तथा कुछ अपराधों को धारा 2(कक) "कठोर कैदियों" की परिभाषा में शामिल करने के लिए अधिनियम में संशोधन आवश्यक है। इसलिए यह विल प्रस्तुत है।

पं० शिव चरण लाल शर्मा,  
श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री  
हरियाणा।

घण्टीगढ़  
दिनांक 6 सितम्बर, 2013.

सुमित कुमार,  
सचिव।